



सूचना

एतद्वारा शासनादेश संख्या 1018/सत्तर-2-2020-16(11)/2017 टी0सी0 दिनांक-17 नवम्बर 2020 के क्रम में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों के प्रबन्धकों को सूचित किया जाता है कि सत्र 2021-22 हेतु बी0एड0 के अतिरिक्त नवीन महाविद्यालय खोलने अथवा संचालित महाविद्यालयों/संस्थानों में अतिरिक्त विषय/पाठ्यक्रमों के लिए अनापत्ति एवं सम्बद्धता हेतु एक साथ प्रक्रिया प्रारम्भ है, अनापत्ति एवं सम्बद्धता हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जाएगा जिसका वेबसाइट URL-<https://henoc.upsdc.gov.in> है इसके लिए ऑफलाईन आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अनापत्ति एवं सम्बद्धता हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 31.12.2020 है।

अतः आप सभी से अनुरोध है कि उक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-शासनादेश की प्रति

भवदीय

कुलसचिव,

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक : 455/सि0वि0क0/सम्बद्धता/सूचना/2020

दिनांक : 24 / 11 / 2020

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. समस्त प्रबन्धक/प्राचार्य, सम्बद्ध-महाविद्यालय को इस आशय से प्रेषित कि वे उपरोक्त शासनादेश का भलिभाँति अध्ययन कर लें एवं नियमानुसार समय अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित कर लें।
3. निजी सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
4. परीक्षा नियंत्रक, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।
5. वित्त अधिकारी, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।
6. उपकुलसचिव, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।
7. प्रभारी कोडिंग सेल को इस निर्देश के साथ कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय के वेबसाइट/कालेज लॉगिन पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
8. सम्पादक महोदय- अमर उजाला, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्तान को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने सम्मानित समाचार पत्र के अंक में छात्रहित में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
9. सम्बन्धित पत्रावली में संरक्षित हेतु।

कुलसचिव,

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

प्रेषक,

मोनिका एस0 गर्ग,
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 17 नवम्बर, 2020

विषय:- उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बी0एड0 पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु (आगामी शिक्षा सत्र के लिये) अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के ऑनलाइन निस्तारण हेतु समय-सारिणी।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उच्च शिक्षा विभाग में प्रक्रिया को सरल एवं पूर्ण पारदर्शी रूप से लागू किए जाने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या-905/सत्तर-2-2019-16(11)/2017 दिनांक 04.12.2019 द्वारा प्रदेश में नये महाविद्यालयों को प्रारम्भ करने एवं पूर्व से संचालित महाविद्यालयों में नये पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर शैक्षिक सत्र 2020-21 से एन0ओ0सी0 की प्रक्रिया ऑनलाइन निर्धारित की गयी है।

2- इस क्रम में नये महाविद्यालयों एवं पूर्व से संचालित महाविद्यालयों में नये पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्रदान करने की प्रक्रिया को पूर्णतः ऑनलाइन करने के संबंध में एन0आई0सी0 के सहयोग से विकसित सॉफ्टवेयर कियाशील कर दिया गया है और शैक्षिक सत्र 2021-22 से सम्बद्धता ऑनलाइन ही प्रदान की जायेगी।

3- इस संबंध में सम्यक् विचारोंपरान्त निर्णय लिया गया है कि शासनादेश संख्या-710/सत्तर-2-2020-16(165)/2012, दिनांक 14.11.2014 को अवकमित करते हुए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बी0एड0 पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु शैक्षिक शिक्षा सत्र 2021-22 के लिये उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा ऑनलाइन अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के निस्तारण हेतु निम्नवत् समय-सारिणी निर्धारित की जाती है :-

क्र०	कार्यवाही	शासन द्वारा निर्धारित सम्बद्धता के प्रकरणों को निस्तारित करने की समय-सीमा
1	विश्वविद्यालय में नये पाठ्यक्रमों हेतु अनापत्ति प्रस्ताव ऑनलाइन जमा करने की अन्तिम तिथि।	दिनांक 31 दिसंबर तक। (1) 31 दिसंबर तक विश्वविद्यालय में अनापत्ति के ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्ताव सम्बद्धता हेतु आगामी शिक्षण सत्र में विचारणीय होंगे। (2) जो शिक्षण संस्थान समस्त अर्हताएं पूर्ण करते हैं, वे अनापत्ति एवं सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्वानुमति हेतु एक साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं किन्तु ऐसे प्रस्तावों पर चरणबद्ध तरीके से ही कार्यवाही की जायेगी। इसे एन0ओ0सी0 निर्गत होने के पूर्व सम्बद्धता के प्रति प्रतिबद्धता/ आश्वासन नहीं माना जायेगा।
2	विश्वविद्यालय में ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्तावों के भूमि संबंधी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराया जाना	दिनांक 31 जनवरी तक (1) खतौनी का सत्यापन। (2) संयुक्तता प्रमाण पत्र एवं नजरी नक्शा के लिए स्थलीय निरीक्षण। (3) सत्यापन उन बिन्दुओं तक होगा जो शासनादेश के अनुरूप हों अन्यथा यह माना जायेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुचित आपत्तियां लगाई जा रही हैं।
3	अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत किया जाना	दिनांक 15 फरवरी तक।
4	निरीक्षण मण्डल का गठन	दिनांक 05 मार्च तक। (1) अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत होने के पश्चात संस्था द्वारा दिनांक 25 फरवरी तक निरीक्षण मण्डल गठन के संबंध में आवेदन किया जायेगा। (2) पैनल विश्वविद्यालय तैयार करेंगे, जिसमें सक्षम स्तर के विषय विशेषज्ञ होंगे तथा एक सदस्य, सचिव का नामांकन भी किया जायेगा, जिसका दायित्व निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। (3) पैनल में एक ही अधिकारी को बार- बार सम्मिलित न किया जाये। पैनल में अलग-अलग अधिकारियों को नामित किया जाय, जिससे निरीक्षण कार्यों में विलम्ब न हो। (4) पैनल में जो सदस्य निरीक्षण हेतु समय से न जायें तथा जिनकी सत्यनिष्ठा की शिकायत हो, उनके विरुद्ध मन्तव्य स्थापित करने हेतु उचित कार्यवाही की जाये। (5) पैनल सदस्यों के कार्य आचरण का वर्षानुवर्ष रिकार्ड रखा जाये।
5	निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या का प्रस्तुत किया जाना।	दिनांक 30 मार्च तक। (1) प्रस्ताव/अभिलेख की प्राप्ति चेक लिस्ट के अनुसार हो तथा प्राप्त कर्ता द्वारा स्पष्ट रूप से इंगित किया जाये। (2) निरीक्षण आख्या अपूर्ण एवं भ्रामक न हो। शासनादेश में जिन बिन्दुओं की पुष्टि की अपेक्षा है, उसके अनुरूप हो। यह सुनिश्चित करने का दायित्व सदस्य सचिव का होगा। (3) समिति का कोई सदस्य असहयोग करता है तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करेगा।

6	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता ऑनलाइन प्रदान करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 15 अप्रैल तक।
7	शासन में अपील करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 30 अप्रैल तक।
8	शासन स्तर पर अपील निस्तारित करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 30 मई तक।


4- उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बी0एड0 पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/ पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु शैक्षिक सत्र 2022-23 एवं आगामी शैक्षिक सत्रों के लिये उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा ऑनलाइन अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के निस्तारण हेतु निम्नवत् समय-सारिणी निर्धारित की जाती है :-

क्र0	कार्यवाही	शासन द्वारा निर्धारित सम्बद्धता के प्रकरणों को निस्तारित करने की समय-सीमा (आगामी शिक्षा सत्र के लिए)	
		प्रथम चक्र	अन्तिम चक्र
1	विश्वविद्यालय में नये पाठ्यक्रमों हेतु अनापत्ति प्रस्ताव ऑनलाइन जमा करने की अन्तिम तिथि।	<p>दिनांक 31 अक्टूबर तक।</p> <p>(1) 31 अक्टूबर तक विश्वविद्यालय में अनापत्ति के ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्ताव सम्बद्धता हेतु आगामी शिक्षण सत्र में विचारणीय होंगे।</p> <p>(2) जो शिक्षण संस्थान समस्त अर्हताएं पूर्ण करते हैं, वे अनापत्ति एवं सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्वानुमति हेतु एक साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं किन्तु ऐसे प्रस्तावों पर चरणबद्ध तरीके से ही कार्यवाही की जायेगी। इसे एन0ओ0सी0 निर्गत होने के पूर्व सम्बद्धता के प्रति प्रतिबद्धता/ आश्वासन नहीं माना जायेगा।</p>	<p>दिनांक 31 दिसम्बर तक।</p> <p>(1) 31 दिसम्बर तक विश्वविद्यालय में अनापत्ति के ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्ताव सम्बद्धता हेतु आगामी शिक्षण सत्र हेतु विचारणीय होंगे।</p> <p>प्रथम चक्र में उल्लिखित प्रक्रिया/ निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।</p>
2	विश्वविद्यालय में ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्तावों के भूमि संबंधी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराया जाना	<p>दिनांक 15 दिसम्बर तक।</p> <p>(1) खतौनी का सत्यापन।</p> <p>(2) संयुक्तता प्रमाण पत्र एवं नजरी नक्शा के लिए स्थलीय निरीक्षण।</p> <p>(3) सत्यापन उन बिन्दुओं तक होगा जो शासनादेश के अनुरूप हों अन्यथा यह माना जायेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुचित आपत्तियां लगाई जा रही हैं।</p>	<p>दिनांक 31 जनवरी तक</p> <p>प्रथम चक्र में उल्लिखित प्रक्रिया/ निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।</p>
3	अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत किया जाना	दिनांक 31 दिसम्बर तक।	दिनांक 15 फरवरी तक।

4	निरीक्षण मण्डल का गठन	<p>दिनांक 15 जनवरी तक।</p> <p>(1) अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत होने के पश्चात संस्था द्वारा दिनांक 05 जनवरी तक निरीक्षण मण्डल गठन के संबंध में आवेदन किया जायेगा।</p> <p>(2) पैनल विश्वविद्यालय तैयार करेंगे, जिसमें सक्षम स्तर के विषय विशेषज्ञ होंगे तथा एक सदस्य, सचिव का नामांकन भी किया जायेगा, जिसका दायित्व निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा।</p> <p>(3) पैनल में एक ही अधिकारी को बार- बार सम्मिलित न किया जाये। पैनल में अलग-अलग अधिकारियों को नामित किया जाय, जिससे निरीक्षण कार्यों में विलम्ब न हो।</p> <p>(4) पैनल में जो सदस्य निरीक्षण हेतु समय से न जायें तथा जिनकी सत्यनिष्ठा की शिकायत हो, उनके विरुद्ध मन्तव्य स्थापित करने हेतु उचित कार्यवाही की जाये।</p> <p>(5) पैनल सदस्यों के कार्य आचरण का वर्षानुवर्ष रिकार्ड रखा जाये।</p>	<p>दिनांक 28 फरवरी तक।</p> <p>(1) अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत होने के पश्चात संस्था द्वारा दिनांक 18 फरवरी तक निरीक्षण मण्डल गठन के संबंध में आवेदन किया जायेगा</p> <p>(2) प्रथम चक्र में उल्लिखित प्रक्रिया/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।</p>
5	निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या का प्रस्तुत किया जाना।	<p>दिनांक 15 फरवरी तक।</p> <p>(1) प्रस्ताव/अभिलेख की प्राप्ति चेक लिस्ट के अनुसार हो तथा प्राप्त कर्ता द्वारा स्पष्ट रूप से इंगित किया जाये।</p> <p>(2) निरीक्षण आख्या अपूर्ण एवं भ्रामक न हो। शासनादेश में जिन बिन्दुओं की पुष्टि की अपेक्षा है, उसके अनुरूप हो। यह सुनिश्चित करने का दायित्व सदस्य सचिव का होगा।</p> <p>(3) समिति का कोई सदस्य असहयोग करता है तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करेगा।</p>	<p>दिनांक 31 मार्च तक।</p> <p>प्रथम चक्र में उल्लिखित प्रक्रिया/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।</p>
6	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता ऑनलाइन प्रदान करने की अन्तिम तिथि	<p>दिनांक 28 फरवरी तक।</p>	<p>दिनांक 15 अप्रैल तक।</p>
7	शासन में अपील करने की अन्तिम तिथि	<p>दिनांक 31 मार्च तक।</p>	<p>दिनांक 15 मई तक।</p>
8	शासन स्तर पर अपील निस्तारित करने की अन्तिम तिथि	<p>दिनांक 30 अप्रैल तक।</p>	<p>दिनांक 15 जून तक।</p>

कृपया उक्त समय-सारणी एवं निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,


(मोनिका एस० गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 1018 (1)/सत्तर-2-2020 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, श्री कुलाधिपति, उ०प्र०।
2. समस्त कुलपति, राज्य विश्वविद्यालय, उ०प्र०।
3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।
4. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, योजना भवन, लखनऊ।
5. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री/निजी सचिव, मा० उप मुख्यमंत्री जी।
6. अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।